**न्यायालय– एकादश्, अपर सत्र न्यायाधीश**
**सारण, छपरा।**
**ए0बी.पी.न0–3846 / 2025**
**गरखा थाना कांड सं0–632 / 2025**

**10.03.2026** आवेदक अभियुक्त विजय राय की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–3846/2025, गरखा थाना कांड संख्या 632/2025, अंतर्गत धारा 316(2),318(4),126(2),115(2),352,3(5) भा0न्या0सं0 में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री शशि भूषण त्रिपाठी एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह को सुना।

अभियोजन का आरोप संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचिका को घर बनवाने वास्ते जमीन की आवश्यकता थी तो वह दलालों से बात कर बोली कि मुझे घर बनाने हेतु चार–पांच कट्ठा जमीन की आवश्यकता है। जिस पर ओम प्रकाश सिंह, विजय राय ने गरखा स्थित फुरसतपुर गांव में एक जमीन चार कट्ठा छः धुर दिखाकर बोला कि जमीन साफ सुथरा है। आप ले सकती है। तब सूचिका बोली कि आपलोग जमीन मालिक से बात कर दाम तय हो जाए। जमीन मालिक राकेश कुमार सिंह से ये लोग मुलाकात कराये और छः लाख पचास हजार तय हुआ जिसका खाता सं0 134, सर्वे 1384 है। दिनांक 17.12.2024 का जमीन मालिक राकेश कुमार को उचित जरसमन छः लाख पचास हजार निबंधित कार्यालय छपरा में देकर निबंधित दस्तावेज के माध्यम से सूचिका अपने नाम से क्रय किया। साथ ही एक हजार रूपये के स्टाम्प पर अलग से एक एकरारनामा भी राकेश कुमार सिंह ने किया कि उक्त जमीन गलत होगा तो में उक्त राशि को वापस कर देंगे। क्रय के कुछ दिन बाद जब उक्त जमीन की नापी कराने गई तो पता चला कि एक ने उक्त जमीन को राकेश सिंह के पिता देवेन्द्र सिंह ने बहुत पहले ही विक्रय कर दिया है जिस पर उक्त जमीन मालिक व दलालल से सम्पर्क की और बोली कि आपलोग झूंठ बोलकर तथा धोखा देकर बिका हुआ जमीन बेच दिए तथा उक्त लोगों से पैसा वापस करने के लिए आग्रह किया। तो उनलोगों ने पैसा देने से आना–कानी करने लगे तथा बोले कि रूपया नहीं है। आपको जा समझ आये वा कीजिए।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए कहा गया कि आवेदक की ओर से अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण को झूंठा फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध तीन प्राथमिकी संस्थित है। आवेदक के धन हड़पने के उद्देश्य से झूंठे मामले में फंसाया गया है। आवेदक राजेश कुमार सिंह द्वारा चंपा देवी को निष्पादित विक्रय विलेख का गवाह है। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत दिये जाने

की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदक द्वारा कारित अपराध काफी गंभीर प्रकृति का है। इसलिए आवेदक का जमानत आवेदन खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में गरखा थाना कांड संख्या 632/2025, अंतर्गत धारा 316(2),318(4),126(2),115(2),352,3(5) भा0न्या0सं0 में पंजीकृत कराई गई है। कांड दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कांड दैनिकी के कंडिका–2 में वादिनी का पुनः बयान अंकित है जिसमें वादिनी ने घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। कंडिका–5,7 में साक्षियों का साक्ष्य है जिसमें सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। कंडिका–13 में पर्यवेक्षण टिप्पणी है जिसमें आवेदक के विरूद्ध घटना को सत्या पाया गया है। जमानत आवेदन के अनुसार आवेदक के विरूद्ध तीन प्राथमिकी पूर्व से दर्ज है। आवेदक अभियुक्त पर सूचिका के साथ धोखाधड़ी कर छः लाख पचास हजार रूपये ठगने का आरोप है। आवेदक द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त विजय राय के तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक–23.09.2025 को उपरोक्त के आलोक में खारिज किया जाता है।

लेखापित

एकादश, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।